संख्या:101/2025/726पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/110/2025

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, बाराबंकी, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, अमेठी, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मीरजापुर, भदोहीं, सोनभद्र, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा तथा हमीरपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 10 जून, 2025

विषय: संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रविष्टि एवं समीक्षा CMIS पोर्टल/ PMGati Shakti पोर्टल के माध्यम से किए जाने के संबंध में।

महोदय,

पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में लाने एवं अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं तथा पिछड़ेपन को कम करने तथा संतुलित विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न पूंजीगत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि संचालित है। यह योजना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है। योजनान्तर्गत स्वीकृत होने वाले कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है ताकि सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का लाभ जनमानस को प्राप्त हो सके। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को आनलाइन जियो टैगिंग के साथ देखा जा सके।

(2) इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत होने वाले सभी कार्यों की समीक्षा CMIS पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इसके साथ ही जनपदों द्वारा स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु मांग भी CMIS पोर्टल के माध्यम से शासन को सन्दर्भित की जायेगी। योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को जियो टैगिंग के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित करने हेतु CMIS पोर्टल को PMGati Shakti पोर्टल से परस्पर लिंक किया गया है। इस प्रकार CMIS पोर्टल पर दर्ज स्वीकृत परियोजनाएं PMGati Shakti पोर्टल पर आनलाइन जियोटैगिंग के साथ प्रदर्शित हो सकेंगी। फलस्वरूप कार्यों की द्विरावृत्ति पर रोक लगने के साथ ही क्रिटिकल गैप्स की पहचान में आसानी एवं प्रस्तावित अवसंरचना की आवश्यकता के सम्बन्ध में निर्णय लेने में सहायता होगी।

(3) योजनान्तर्गत राज्यांश के अन्तर्गत विचाराधीन परियोजनायें जिनका जनपद से आगणन अपेक्षित होगा, का जनपद द्वारा CMIS पोर्टल के माध्यम से आगणन अटैच/उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित परियोजना के अक्षांश एवं देशान्तर के साथ भवन निर्माण हेतु Point/Polygon के रूप में तथा सड़क एवं लम्बाई से सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु Line के रूप में संरेखण (Draw) करते हुए सूचनाएं PMGati Shakti पोर्टल पर अंकित की जायेंगी।

(4) योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त दिनांक 19 सितम्बर,2002 में निधि के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को राज्यांश एवं जिलांश के नाम से दो भागों में समान रूप से विभाजित किए जाने की व्यवस्था दी गयी है। तदनुसार जिलांश एवं राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में CMIS पोर्टल/PMGati Shakti पोर्टल पर निम्नलिखित चरणों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-

जिलांश की धनराशि के सापेक्ष चरण:

1. जिलांश के सापेक्ष स्वीकृत कार्यों को सम्बन्धित जनपद के अर्थ एवं संख्याधिकारी/परियोजना से सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा CMIS पोर्टल पर कार्य के विवरण सहित प्रारम्भिक डेटा इंट्री की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2. कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा परियोजना के अक्षांश एवं देशान्तर के साथ भवन निर्माण हेतु Point/Polygon के रूप में तथा सड़क एवं लम्बाई से सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु Line के रूप में संरेखण (Draw) करते हुए सूचनाएं PMGati Shakti पोर्टल पर अंकित की जायेंगी।
3. कार्य की स्वीकृति निर्गत होने के 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को एक्टिविटी में विभक्त करते हुए कार्य को पूर्ण करने की तिथि के साथ माईलस्टोन निर्धारित किये जायेंगे।
4. नामित कार्यदायी संस्था द्वारा पोर्टल पर कार्यों की प्रगति को एक सप्ताह में अद्यावधिक करने के साथ ही सभी कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अद्यावधिक करते हुए फोटोग्राफ्स (मोबाइल ऐप से) जियो टैगिंग के साथ अपलोड की जायेगी।
5. जिलाधिकारी द्वारा CMIS पोर्टल की वेबसाईट https://cmis.up.gov.in/login पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि ड्राप डाउन मीनू जिलांश के अन्तर्गत वर्णित सभी स्वीकृत कार्यों की प्रत्येक माह एक नियत तिथि को समीक्षा की जायेगी।

राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष चरण:

1. राज्यांश के अन्तर्गत विचाराधीन परियोजनायें, जिनका जनपद से आगणन अपेक्षित होगा, का जनपद द्वारा CMIS पोर्टल के माध्यम से आगणन अटैच/उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित परियोजना के अक्षांश एवं देशान्तर के साथ भवन निर्माण हेतु Point/Polygon के रूप में तथा सड़क एवं लम्बाई से सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु Line के रूप में संरेखण (Draw) करते हुए सूचनाएं PMGati Shakti पोर्टल पर अंकित की जायेंगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा CMIS पोर्टल की वेबसाईट https://cmis.up.gov.in/login पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रत्येक माह एक नियत तिथि को समीक्षा की जायेगी।
3. कार्य की स्वीकृति निर्गत होने के 15 कार्य दिवस के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को एक्टिविटी में विभक्त करते हुए माईलस्टोन निर्धारित किये जायेंगे।
4. नामित कार्यदायी संस्था द्वारा पोर्टल पर कार्यों की प्रगति को एक सप्ताह में अद्यावधिक करने के साथ ही सभी कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अद्यावधिक करते हुए फोटोग्राफ्स जियो टैगिंग के साथ अपलोड की जायेगी।
5. स्वीकृत कार्य की अवशेष धनराशि मांग किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक के व्यय के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर सहित रूपपत्र 42-I पर उपयोगिता प्रमाण पत्र, बचत पत्र एवं कराए गए कार्य के फोटोग्राफ्स जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा कराए गए कार्य के निरीक्षण हेतु समिति गठित करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा जांच समिति गठित की जायेगी।
7. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा अवशेष धनराशि की मांग के सम्बन्ध में प्राप्त सभी अभिलेखों का गम्भीरतापूर्वक परीक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव पर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. अवशेष धनराशि की मांग के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए प्रस्ताव को जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से CMIS पोर्टल (पोर्टल के ड्रापडाउन मीनू > संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि > जिलाधिकारी द्वारा अगली किश्त हेतु संस्तुति) पर अभिलेख यथा-उपयोगिता प्रमाण पत्र-42-I (जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित), निरीक्षण आख्या, बचत प्रारूप तथा कलर फोटोग्राफ्स एवं जिलाधिकारी की ओर से मांग-पत्र अपलोड किया जायेगा।
9. जिलाधिकारी द्वारा उक्त अपलोड किए गए अभिलेखों से स्वंय सन्तुष्ट होने के पश्चात ई-साईन करते हुए CMIS पोर्टल के माध्यम से अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष अवशेष धनराशि की मांग के सम्बन्ध में दिनांक 30 जून, 2025 के पश्चात भौतिक रूप से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. नियोजन विभाग द्वारा CMIS पोर्टल से डाक्युमेंट डाउनलोड करते हुए धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

(5) उल्लेखनीय है कि CMIS पोर्टल पर जनपदों द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के कार्यों की अवशेष धनराशि की मांग की जाती है। इस प्रक्रिया से जनपद स्तरीय अधिकारी भलि-भांति परिचित हैं। त्वरित आर्थिक विकास योजना की भांति ही संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि की भी समीक्षा एवं राज्यांश के सापेक्ष स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की मांग CMIS पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

(6) वित्तीय वर्ष 2025-26 से योजनान्तर्गत स्वीकृत होने वाली नवीन परियोजनाओं की PMGati Shakti पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ सूचना की प्रविष्टि की जायेगी। CMIS पोर्टल पर जनपद स्तरीय प्रविष्टि किए जाने हेतु कार्यदायी संस्थाओं के पास पूर्व से उपलब्ध यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ही PMGati Shakti पोर्टल को access किया जा सकेगा। इस हेतु CMIS पोर्टल पर एवं PMGati Shakti पोर्टल पर प्रविष्टियां अंकित किए जाने हेतु मॉडयूल सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न किया जा रहा है।

(7) अत: उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से स्वीकृत होने वाली नवीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में उक्त निर्णयों के आधार पर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या:101/2025/726पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/110/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, प्रयागराज, वाराणसी, विन्ध्याचल, आजमगढ़, गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, झांसी एवं चित्रकूट धाम मण्डल।
2. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
3. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, सी0 एण्ड डी0एस0।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (यू0पी0 सिडको)
8. अन्य सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुख।
9. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, लखनऊ।
10. समस्त उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि तथा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत परियोजनाओं को CMIS Portal पर दर्ज करते हुये परियोजनाओं की जियो टैगिंग किया।

User Manual

Stages of project to entered

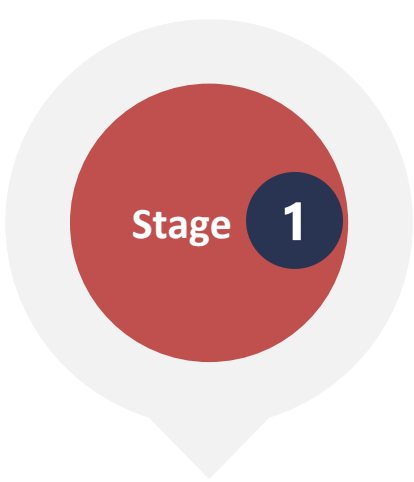

परियोजनाओ की प्रारम्भिक प्रविष्टि

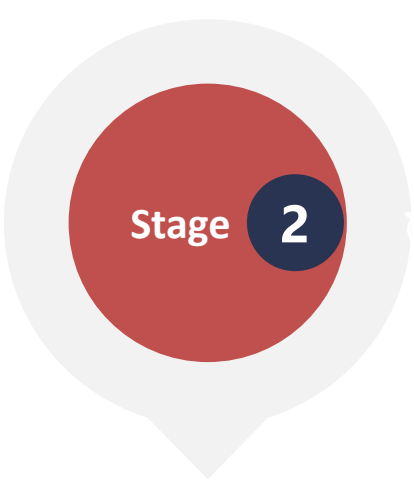

परियोजनाओ को PM-GATISHAKTI पोर्टल पर टैग किया जाना

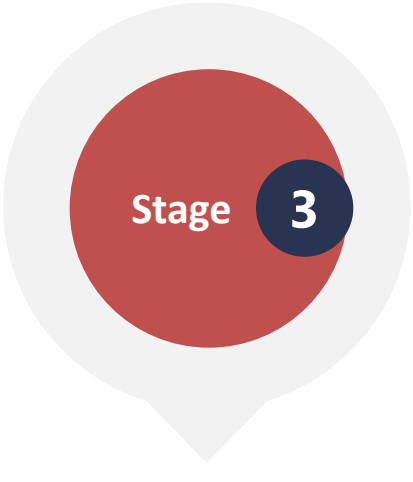

परियोजनाओ की स्वीकृति जारी किया जाना

नियोजन विभाग की परियोजनाओ की प्रविष्टि

Stage- 01
परियोजनाओ की प्रारम्भिक प्रविष्टि

- **Department will Input data for Stage-01**
- **Input Fields:-**
  1. विभाग का चयन (ड्राप-डाउन मीनू से)*
  2. निदेशालय*, परियोजना प्रकार*, कार्यदायी संस्था/विभाग*, विधानसभा क्षेत्र*, संसदीय क्षेत्र*, आच्छादित जनपद का चयन (ड्राप-डाउन मीनू से)*
  3. परियोजना प्रकार {पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश), बुंदेलखंड विकास निधि (जिलांश), त्वरित आर्थिक विकास योजना, पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश), बुंदेलखंड विकास निधि (राज्यांश)}
  4. अनुमानित लागत (रू0 करोड़ में) *
  5. प्रस्तावित कार्य का नाम*
  6. कार्य का प्रकार (सड़क, जल निकासी, भवन निर्माण, जल आपूर्ति, विधयुत प्रदाय, वनीकरण, सिचाई, पुल)
  7. मा॰ मुख्यमंत्री जी से सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्राप्ति की तिथि*---------- T
  8. अभियुक्ति

- **User will save the data and system will generate a project code with “T”.**

Project move to next stage 02

Stage - 01

परियोजनाओ की प्रारम्भिक प्रविष्टि

*विभाग

--कोई एक चयन करे--

*निदेशालय

--कोई एक चयन करे--

*परियोजना प्रकार

--कोई एक चयन करे--

*कार्यदायी संस्था/विभाग

--कोई एक चयन करे--

*विधानसभा क्षेत्र

--कोई एक चयन करे--

*संसदीय क्षेत्र

--कोई एक चयन करे--

*आच्छादित जनपद

--कोई एक चयन करे--

*प्रस्तावित कार्य का नाम

Project Name

कार्य का प्रकार

--कोई एक चयन करे--

*स्वीकृति का दिनांक

dd-mm-yyyy

*अनुमानित लागत (रू0 करोड़ में)

0.0

अभियुक्ति

Remark

सुरक्षित करें

रद्द करें

Stage-02

परियोजनाओ को PM-GATISHAKTI पोर्टल पर टैग किया जाना

- District User will Input data for Stage-02
- User will select the project from list or can search by using project code.
- This user can edit this data which was feeded in previous stage
    1. अभियुक्ति
- Input Fields:-
    - परियोजना का नाम
    - परियोजना की प्रस्तावित लागत (रू0 करोड़ में)
    - अक्षांश एवं देशांश का विवरण
    - It will be re-directed to PM Gati-Shakti Portal (https://up.pmgatishakti.gov.in/UttarPradesh).

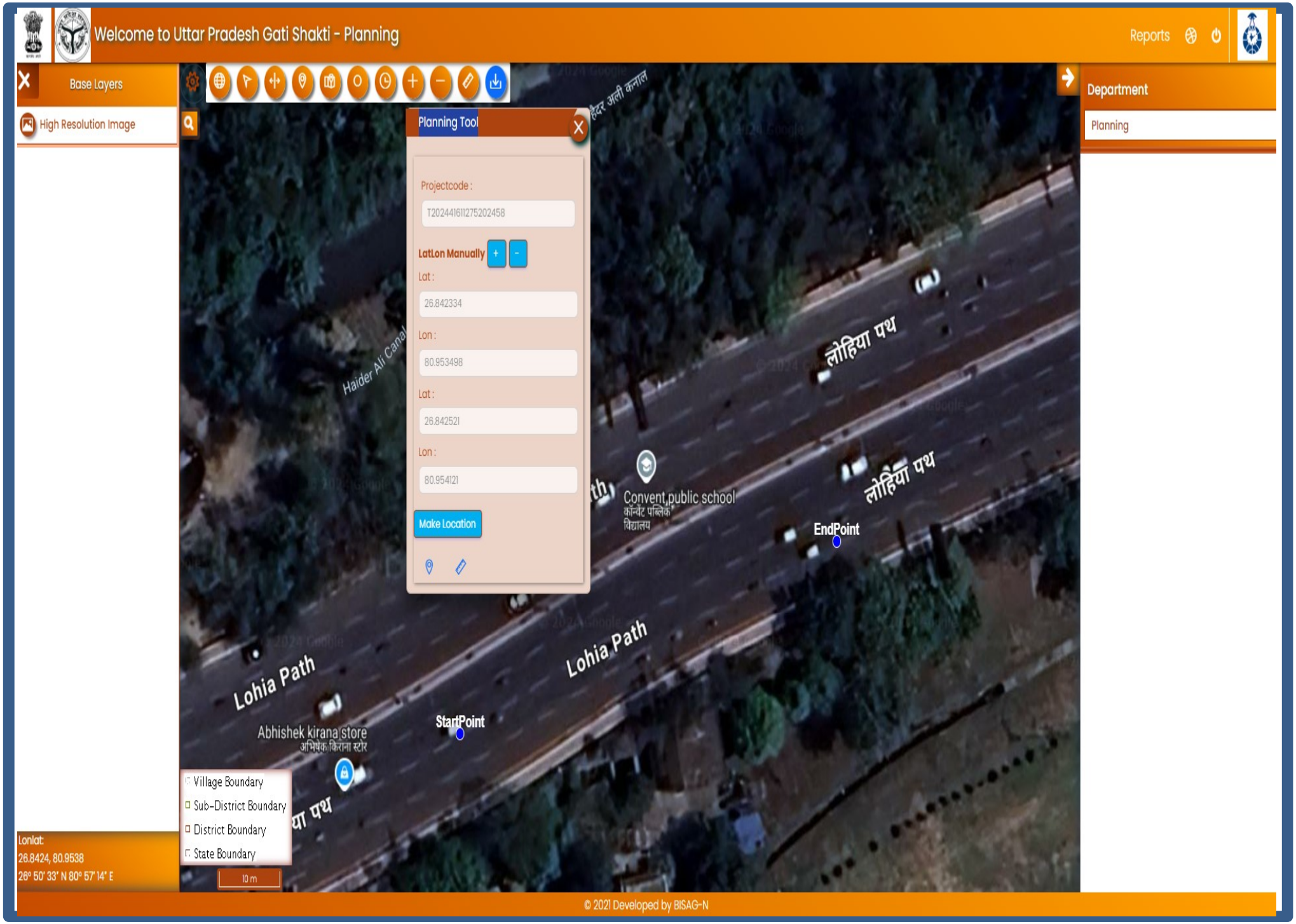
Welcome to Uttar Pradesh Gati Shakti - Planning
Reports
Base Layers
High Resolution Image
Department
Planning
Planning Tool
Projectcode :
T20244161127520245 8
LatLon Manually
Lat :
26.842334
Lon :
80.953498
Lat :
26.842521
Lon :
80.954121
Make Location
Haider Ali Canal
हैदर अली कनाल
लोहिया पथ
लोहिया पथ
Convent public school
कॉन्वेंट पब्लिक विद्यालय
EndPoint
Lohia Path
Lohia Path
Abhishek kirana store
अभिषेक किराना स्टोर
StartPoint
Village Boundary
Sub-District Boundary
District Boundary
State Boundary
10 m
Lonlat:
26.8424, 80.9538
26° 50' 33" N 80° 57' 14" E
© 2021 Developed by BISAG-N

- **Pre-filled data of Lat-Long will be shown on Gati-Shakti Portal.**
- **System will auto apply different relevant layers while user tagging projects on PM-Gatishakti Portal. (For example when user tag any building project system will auto show all existing tagged building project over the map.)**
- **Tagged Project will be in different color when in sanction and completed stage.**
- **User will create the asset on map (using map creation tool) (also verify that this work not done previously).**
- **PM-Gatishakti Portal send the confirmation code (Project creation confirmation) to CMIS Portal.**
- **User will upload summery of BOQ.**
- **User will save the data.**

Project move to next stage 3

Stage - 02

परियोजनाओ को PM-GATISHAKTI पोर्टल पर टैग किया जाना

*प्रस्तावित कार्य का नाम

--कोई एक चयन करे--

विभाग

--कोई एक चयन करे--

निदेशालय

--कोई एक चयन करे--

परियोजना प्रकार

--कोई एक चयन करे--

कार्यदायी संस्था/विभाग

--कोई एक चयन करे--

विधानसभा क्षेत्र

--कोई एक चयन करे--

संसदीय क्षेत्र

--कोई एक चयन करे--

आच्छादित जनपद

--कोई एक चयन करे--

कार्य का प्रकार

--कोई एक चयन करे--

स्वीकृति का दिनांक

dd-mm-yyyy

अनुमानित लागत (रू0 करोड़ में)

0.0

अभियुक्ति

Remark

*परियोजना का नाम (आगणन के अनुसार)

Project Name

*परियोजना की प्रस्तावित लागत (रू0 करोड़ में)

0.0

आगणन की स्कैन कापी (जिलाधिकारी के कवरिंग पत्र के साथ).pdf

Choose File | No file chosen

परियोजना का अक्षांश / देशांश

Stage-3

परियोजनाओ की स्वीकृति जारी किया जाना

- **Department User will Input data for Stage- 3**
- **User will select the project from list or can search by using project code.**
- **Input Fields:-**
  1. **प्रस्तावक का नाम**
  2. **प्रस्तावक का पदनाम एवं विधानसभा/ लोकसभा का नाम/ जनपद का नाम**
  - **परियोजना की अनुमोदित लागत (रू0 करोड़ में)**
  - **शासनादेश का विवरण**
  - **शासनादेश की दिनांक**
  - **User will save the data**

Project move to main project Dashboard

Stage - 03

परियोजनाओ की स्वीकृति जारी किया जाना

*प्रस्तावित कार्य का नाम

--कोई एक चयन करे--

विभाग

--कोई एक चयन करे--

निदेशालय

--कोई एक चयन करे--

परियोजना प्रकार

--कोई एक चयन करे--

कार्यदायी संस्था/विभाग

--कोई एक चयन करे--

विधानसभा क्षेत्र

--कोई एक चयन करे--

संसदीय क्षेत्र

--कोई एक चयन करे--

आच्छादित जनपद

--कोई एक चयन करे--

प्रस्तावक का विवरण

प्रस्तावक का पदनाम

Designation

प्रस्तावक का नाम

Recommended By

विधानसभा क्षेत्र

--कोई एक चयन करे--

संसदीय क्षेत्र

--कोई एक चयन करे--

आच्छादित जनपद

--कोई एक चयन करे--

कार्य का प्रकार

--कोई एक चयन करे--

स्वीकृत का दिनांक

dd-mm-yyyy

अनुमानित लागत (रू0 करोड़ में)

0.0

अभियुक्ति

Remark

परियोजना का नाम

Project Name

परियोजना की प्रस्तावित लागत (रू0 करोड़ में)

0.0

परियोजना का अक्षांश / देशांश

*परियोजना की अनुमोदित लागत (रू0 करोड़ में)

0.0

*शासनादेश की दिनांक

dd-mm-yyyy

*शासनादेश का विवरण

विवरण भरे..

सुरक्षित करें | रद्द करें

EN

धन्यवाद